संख्या-18 /2022/आ0मि0-30 /003-96-2099-1661-2019

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष विभाग लखनऊ : दिनांक 04 मई, 2022

विषयः- उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी के वित्तीय वर्ष 2021-22 की राज्य वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि रू0 39325.25 लाख के सापेक्ष अवशेष केन्द्रांश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ के पत्र संख्या-09/57-एफ /मि0नि0/2022-23, दिनांक 06-04-2022 एवं पत्र संख्या-42/57-एफ/मि0नि0/2022-23, दिनांक 25-04-2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष मिशन के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी की वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि रू0 39325.25 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि रू0 480.00 लाख (रुपये चार करोड़ अस्सी लाख मात्र) को अवमुक्त किए जाने पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें हैं:-

## नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि को आहरित कर डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही प्रश्न्गत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4- योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्याय किया गया है।

5- स्वीकृत धनराशि को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ की वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुमोदित वार्षिक कार्य-योजना पर ही व्यय किया जाएगा। किन्ही अन्य कार्य-मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।

6- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आयुष मिशन की कार्ययोजना वर्ष 2021-22 के सापेक्ष स्वीकृत किये जा रहे इस अवशेष केन्द्रांश का आहरण पूर्व में नहीं किया गया है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,80,00,000 ( रुपये चार करोड़ अस्सी लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 034 **लेखा शीर्षक** 2210051020101 राष्ट्रीय आयुष मिशन (के. 60/रा.40- के.+रा.) **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-10-X-2022-23-दिनांक:29-4-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-18 /2022/आ0मि0-30(1)/003-96-2099-1661-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज।
2- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्यो पैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जीपीओ काम्पालेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasan

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।